

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from **170-Nimbahera** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri **SHRICHAND KRIPLANI**

HOUSE NO. 29, MENARIYO KA MOHALLA, VILLAGE- BHAWLIYA, TEHSIL- NIMBAHERA, DISTRICT- CHITTORGARH (RAJ.)

sponsored by **Bharatiya Janata Party** (name of the recognized political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: **Chittorgarh**

Dated: **3rd December 2023**



(RAMESH SIRVI PUNADIA)

Returning Officer.
(Ramesh Sirvi Punadia)
Returning Officer 170- Nimbahera,
Sub Divisional Officer & Sub Divisional
Magistrate Nimbahera

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

170-निम्बाहेड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री श्रीचन्द कृपलानी

मकान संख्या-29, मेनारियों का मोहल्ला, ग्राम- भावलिया, तहसील- निम्बाहेड़ा, जिला- चित्तौड़गढ़(राज.)

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :- चित्तौड़गढ़

दिनांक:- 3 दिसम्बर 2023



(रमेश सीरवी पुनाडिया)

रिटर्निंग अधिकारी
(रमेश सीरवी पुनाडिया)
रिटर्निंग ऑफिसर, 170- निम्बाहेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
निम्बाहेड़ा